संख्या 1699/9—आ—3—1999

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता
सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन

सेवा में,

उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
मुजफ्फरनगर

आवास अनुभाग—3

लखनऊः दिनांक 18 अगस्त, 1999

विषयः आर्किटेक्ट एक्ट—1972 के प्राविधानों को लागू किया जाना।

महोदय

प्रशासनिक अधिकारी, काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में कतिपय व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत तरीके से आर्किटेक्ट के रूप में कार्य किया जा रहा है जोकि अनुचित है। उन्होंने अनुरोध किया है कि जनसाधारण के हितों की सुरक्षा तथा आर्किटेक्चर प्रोफेसन के संरक्षण हेतु इस पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाया जाना आवश्यक है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर्किटेक्ट एक्ट—1972 एक केन्द्रीय कानून है तथा भारत सरकार के गजट नोटीफिकेशन के दिनांक (31 मई, 1972) से सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रभावी है। इस अधिनियम की धारा—3 के अन्तर्गत काउन्सिल आफ आर्कीटेक्चर का गठन किया गया है तथा धारा—37 के प्राविधानों के अंतर्गत काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आर्किटेक्ट के टाईटिल के साथ कार्य करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा—39 के अंतर्गत ऐसा करना एक दण्डनीय अपराध भी है। इसके अतिरिक्त काउन्सिल आफ आर्किटेक्ट से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट को सम्पूर्ण भारतवर्ष में आर्किटेक्ट के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य स्तर पर रजिस्ट्रेशन कराने अथवा लाईसेन्स लेने की भी आवश्यकता नही है।

3. कृपया अपने प्राधिकरण क्षेत्र में आर्किटेक्ट एक्ट 1972 के प्राविधानों को प्रभावी ढंग से लागू कराएं तथा अनधिकृत रूप से आर्किटेक्ट के रूप में प्रैक्टिस कर रहे व्यक्तियों के विरूद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराएं।

भवदीय

Sd/-
(अतुल कुमार गुप्ता)
सचिव

संख्या 1699 (1)/9—आ—3—1999 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. श्री के0 गोपाल कृष्ण भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी, काउन्सिल आफ आर्किटेक्टचर, इण्डिया हैवीटाट सेन्टर, 6—ए, प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली को उनके पत्रांक सी.ए./28/99/ए.ई. दिनांक 27.3.99 जो मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित है, के संदर्भ में।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. प्रेसीडेन्ट, यू0पी0 चैप्टर, इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ आर्कीटेक्ट, 58 हजरतगंज, लखनऊ।

आज्ञा से,

Sd/-
(यज्ञवीर सिंह चौहान)
विशेष सचिव